सहारनपुर विकास प्राधिकरण

की

72वीं बोर्ड बैठक का

कार्यवृत्त

दिनांक : 30.01.2024

समय : मध्यान्ह् 12.00 बजे

स्थान : सभागार, सर्किट हाऊस, सहारनपुर।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 24–01–2024 को आहूत सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक में उपस्थिति।

क्र०सं०	नाम/पदनाम	पदेन	हस्ताक्षर
1–	श्री ऋषिकेश भास्कर यशोद आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	अध्यक्ष	
2–	डा0 दिनेश चन्द जिलाधिकारी, सहारनपुर।	सदस्य	
3–	सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	
4–	सचिव वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	
5–	श्री आशीष कुमार उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	उपाध्यक्ष	
6–	सुश्री गज़ल भारद्वाज नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर।	सदस्य	
7–	श्री कृष्ण मोहन सहयुक्त नियोजक, मेरठ संभागीय नियोजन खण्ड, मेरठ। प्रतिनिधि– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य	
8–	अपर निदेशक (कोषागार) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर। प्रतिनिधि– सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	24/01/2024
9–	अधीक्षण अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम, निर्माण खण्ड, सहारनपुर।	सदस्य	सचिन यादव अधिशासी अभियंता 8791283335
10–	अधीक्षण अभियन्ता सहारनपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।	सदस्य	9997597240

Scanned with OKEN Scanner

क्र0सं0	नाम/ पदनाम	पदेन	हस्ताक्षर
11–	श्री राकेश जैन	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	
12–	श्री सुरेन्द्र शर्मा	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	
13–	श्री अमित गगनेजा	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	
14–	अधीक्षण अभियन्ता नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री	
15–	श्री विजय कुमार सिंह सहायक नगर नियोजक, मेरठ/सहारनपुर विकास प्राधिकरण।	विशेष आमंत्री	24.01.2024
16–	परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश सेतु निगम, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री	24.01.2024

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली / ई मेल

प्रेषक,

आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
लखनऊ

संख्या: 4614 / पी0ए0 दिनांक: 24/01/2024

विषय: श्री कृष्ण मोहन, सहयुक्त नगर नियोजक, मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ द्वारा अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन में लापरवाही बरते जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 24.01.2024 को मध्यान्ह 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गयी थी, जिसकी सूचना पूर्व से ही सभी सम्बन्धितों को विकास प्राधिकरण द्वारा दी गयी थी। सभी अधिकारीगण बैठक में समय से उपस्थित थे किन्तु पूर्व सूचना के बावजूद भी श्री कृष्ण मोहन, सहयुक्त नगर नियोजक, मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड उपस्थित नहीं हुये, जिस कारण से बोर्ड बैठक स्थगित करनी पड़ी। इसके उपरान्त सहारनपुर विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि की बैठक की गयी किन्तु ये तब तक भी उपस्थित नहीं हुये। उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जितनी भी बैठकें होती है उन बैठकों में ये समय से नहीं आते है और बाद में बैठक में समाहित मद्दों पर लिये गये निर्णयों पर इनके द्वारा औपचारिक/अनौपचारिक रूप से टिप्पणीयां/पृच्छायें की जाती है, जो उचित नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.01.2024 को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की 52वीं बोर्ड बैठक वर्चुअल माध्यम से की गयी थी, जिसमें भी श्री कृष्ण मोहन न तो वर्जुअली लिंक रहे और न ही समय से व्यक्तिगत रूप से बैठक में उपस्थित रहे। सचिव विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि बैठक समाप्ति के उपरान्त ये विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर के कार्यालय में उपस्थित हुये तथा इनके द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर कर दिये गये।

उक्त से स्वतः स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं रूचि लेकर नहीं किया जा रहा है। यदि इनके द्वारा अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया जाता है तो शासन की प्राथमिकताओं वाले कार्यों एवं विभागीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वाभाविक है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त उल्लिखित तथ्यों का संज्ञान लेकर श्री कृष्ण मोहन, सहयुक्त नगर नियोजक, मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ का "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर दिनांक 16.01.2024 एवं दिनांक 24.01.2024 का वेतन अवरूद्ध करते हुये शासन स्तर से इन्हें कठोर चेतावनी निर्गत कराने का कष्ट करें।

CC
K.O.F.
सचिव
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर 24/01/24

भवदीय,

(ह्रषिकेश भास्कर यशोद)
आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।
2— उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 30–01–2024 को आहूत सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक में उपस्थिति।

क्र0सं0	नाम/पदनाम	पदेन	हस्ताक्षर
1–	श्री हृषिकेश भास्कर यशोद आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	अध्यक्ष	[signature]
2–	डा0 दिनेश चन्द्र जिलाधिकारी, सहारनपुर।	सदस्य	
3–	सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	
4–	सचिव वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	
5–	श्री आशीष कुमार उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	उपाध्यक्ष	[signature]
6–	सुश्री गज़ल भारद्वाज नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर।	सदस्य	रतन पाण्डेय, सहा0अभि0 [signature] 30.1.24
7–	श्री कृष्ण मोहन सहयुक्त नियोजक, मेरठ संभागीय नियोजन खण्ड, मेरठ। प्रतिनिधि– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य	[signature] 30/01/2024
8–	अपर निदेशक (कोषागार) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर। प्रतिनिधि– सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	[signature] 30/01
9–	अधीक्षण अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम, निर्माण खण्ड, सहारनपुर।	सदस्य	[signature] योगेश कुमार (अधिशासी अभियन्ता)
10–	अधीक्षण अभियन्ता सहारनपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।	सदस्य	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

क्र0सं0	नाम/ पदनाम	पदेन	हस्ताक्षर
11–	श्री राकेश जैन	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	
12–	श्री सुरेन्द्र शर्मा	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	
13–	श्री अमित गगनेजा	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	
14–	अधीक्षण अभियन्ता नगरीय विद्युत वितरण खण्ड़, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री	
15–	श्री विजय कुमार सिंह ~~सहायक~~ नगर नियोजक, मेरठ/सहारनपुर विकास प्राधिकरण।	विशेष आमंत्री	
16–	परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश सेतु निगम, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री	

दिनांक 30-01-2024 को सम्पन्न हुई सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक सभागार, सर्किट हाऊस, सहारनपुर में आयुक्त/अध्यक्ष, सहारनपुर मण्डल/विकास प्राधिकरण, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 30.01.2024 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव, स0वि0प्रा0 तथा निम्नलिखित मा0 सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1.	श्री हृषिकेश भास्कर यशोद	आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री आशीष कुमार	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	उपाध्यक्ष
3.	श्री रतन पाण्डेय	सहायक अभियन्ता, प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, सहरनपुर।	सदस्य
4.	श्री कृष्ण मोहन	सहयुक्त नियोजक, मेरठ संभागीय नियोजन खण्ड, मेरठ। प्रतिनिधि-मुख्य नगर एव ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।	सदस्य
5.	श्री विजय शुक्ला	अपर निदेशक (कोषागार), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर। प्रतिनिधि – सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य
6.	श्री सी0पी0 सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।	सदस्य
7.	श्री योगेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, सहारनपुर। प्रतिनिधि – प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, सहारनपुर।	सदस्य
8.	श्री राकेश जैन		गैर सरकारी/ मनोनीत सदस्य
9.	श्री अमित गगनेजा		गैर सरकारी/ मनोनीत सदस्य
10.	श्री राजीव कुमार	अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर। प्रतिनिधि – अधीक्षण अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री
11.	श्री सतेन्द्र सिंह	परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सेतु निगम, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री
12.	श्री विजय कुमार सिंह	नगर नियोजक, मेरठ/सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री

Scanned with OKEN Scanner

एजेण्डा

एजेण्डा आईटम सं0	विषय		मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश
72/01	दिनांक 27.09.2023 को सम्पन्न हुई 71वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।		मा0 बोर्ड द्वारा दिनांक 27.09.23 को सम्पन्न हुई 71वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन की पुष्टि कर अवलोकित किया गया।
72/02	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 में किये गये संशोधन को अंगीकार किये जाने के संबंध में।	आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या 2942/2023/8–3099/1710/2020 दिनांक 30 नवम्बर, 2023(संलग्न) द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008(यथासंशोधित) में संशोधन करते हुए बोर्ड में तत्काल अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकृत किये जाने के निर्देश प्रदान किए गए है। अतः उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में शासन द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित) में किए गए संशोधनों को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।
72/03	प्राधिकरण कार्यालय में लम्बित मानचित्रों के त्वरित निस्तारण हेतु प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता को मानचित्र सलाहकार के रूप में नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर 11 माह की	सहारनपुर विकास प्राधिकरण में तकनीकी स्टाफ विशेषकर अवर अभियन्ताओं की अत्यन्त कमी है। अवर अभियन्ता के 12 स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र 04 अवर अभियन्ता कार्यरत हैं जिनमें से 02 अवर अभियन्ता बीमार होने के कारण लम्बे चिकित्सा अवकाश पर हैं। इस कारण प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्राप्त हो रहे मानचित्र/शमन मानचित्रों के त्वरित/समयबद्ध निस्तारण में समस्या आ रही है। चूंकि मानचित्र स्वीकृति के संबंध में व्यवहारिक अनुभव प्राधिकरण सेवा में कार्यरत रहे अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता को ही रहता है, इस कारण अन्य किसी विभाग से अवर अभियन्ताओं को प्राधिकरण कार्यालय से सम्बद्ध कर मानचित्र निस्तारण का कार्य कराया जाना भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संविदा के आधार पर मानचित्र सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु रूपये 20,000/– प्रतिमाह के नियत मानदेय/पारिश्रमिक पर उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरणों से सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता को 11 माह हेतु संविदा के आधार पर रखने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी।	प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया तथा निर्देशित किया गया कि सेवानिवृत्त अभियन्ताओं के कार्य के संबंध में Terms of Reference स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लिए जाएं जिससे उनके कार्यों के संबंध में स्पष्टता रहे।

	अवधि हेतु रखे जाने के सम्बन्ध में।	आवेदन की अन्य शर्ते निम्नानुसार थी :– 1. "मानचित्र सलाहकार" हेतु उ0प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता ही आवेदन कर सकते हैं। 2. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अर्थवा हाई स्कूल/हाइयर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा। साथ ही साथ तकनीकी योग्यता से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, को वरीयता दी जाएगी। 3. इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक को अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता पद से किसी उ0प्र0 विकास प्राधिकरण की सेवा से सेवानिवृत्त होना चाहिए। 4. ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था अथवा जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था अथवा जिनके विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलित है अथवा जिनके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले वाद दर्ज है उनके सम्बंध में विचार नहीं किया जाएगा। 5. इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक को आवेदन पत्र भरकर मय वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन पत्र के साथ विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्त आदेश की प्रति एवं अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) की प्रति संलग्न करनी होगी। 6. संविदा की अवधि 11 माह होगी तथा उससे पूर्व में भी बिना कोई कारण दिए शासकीय कार्यहित में प्राधिकरण द्वारा 15 दिवस का नोटिस देते हुए सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। 7. कार्य पूर्णरूपेण अनुबंध पर सेवा के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए रू0 100/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध किया जायेगा तथा संविदा पद पर नियमित नियुक्ति का कोई दावा ग्राह्य नहीं होगा। 8. अपूर्ण भरे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। 9. साक्षात्कार हेतु आने जाने के लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा। 10. चयन के सम्बंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा प्रथम बार विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 29.11.2023 से दिनांक 14.12.2023 तक आवेदन मांगे गये(संलग्नक–1) जिसमें कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बार विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 16.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 तक आवेदन मांगे गए (संलग्नक–2) जिसमें मात्र 03 आवेदन प्राप्त हुए। साक्षात्कार हेतु नियत दिनांक 16.01.2024 को मात्र 01 आवेदक उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा पारिश्रमिक को कम बताया गया। निकटवर्ती प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त की गयी। बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण में अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता को क्रमशः 30,000/– व रूपये 40,000/– प्रतिमाह का पारिश्रमिक तथा बरेली विकास प्राधिकरण में सेवानिवृत्ति के समय पुनरीक्षित वेतन में से पुनरीक्षित पेन्शन को घटाकर मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान शासनादेश संख्या

Scanned with OKEN Scanner

19/2017–सा–3–22/दस–2017–930–83 वित्त सामान्य अनुभाग–3 दिनांक 13.07.2017 (संलग्नक–3) के अनुसार किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त स्थिति को देखते हुए सहारनपुर विकास प्राधिकरण में, प्राधिकरण से सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को रूपये 35,000/– अथवा शासनादेश संख्या 19/2017–सा–3–22/दस– 2017–930–83 वित्त सामान्य अनुभाग–3 दिनांक 13.07.2017 के अनुसार आगणित प्रतिमाह मानदेय/पारिश्रमिक में से जो धनराशि कम हो, उस पर पूर्व निर्धारित अन्य शर्तों को यथावत रखते हुए संविदा के आधार पर मानचित्र सलाहकार के रूप में रखे जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

72/04 — प्राधिकरण विकास क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति संबंधी विभिन्न शुल्कों की दरों में वृद्धि पर विचार विषयक।

प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति के समय शुल्क आरोपित किये जाते है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित जनरल इन्डेक्स के आधार पर शुल्कों में वृद्धि किये जाने का प्राविधान शासनादेश सं0 3/2021/558/आठ–3– 21–211विविध/13टीसी दिनांक 09 फरवरी, 2021(संलग्नक–1) एवं शासनादेश सं0 563/आठ–3– 19–26विविध/2017 टीसी दिनांक 20 जून, 2019(संलग्नक–2) में उल्लिखित है। पूर्व में 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.10.2022 में कॉस्ट–इन्डेक्स के आधार पर दरें पुनरीक्षित की गयी थी। वर्ष 2022–23 में इन्डेक्स–331 था जो वर्तमान वर्ष 2023–24 में बढकर 348(संलग्नक–3) हो गया है। इस प्रकार वर्ष 2022–23 के सापेक्ष वर्ष 2023–24 तक इन्डेक्स में 5.14 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। वर्णित शासनादेश मे दिये प्राविधान के अनुसार पूर्व विभिन्न शुल्क पुनरीक्षित किये जाने हैं। जिसके अनुसार वर्तमान में लिए जा रहे शुल्कों में इन्डेक्सं को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है :–

शासनादेश सं0 563/आठ–3– 19–26विविध/2017 टीसी दिनांक 20 जून, 2019 में निर्धारित शुल्को की पुनरीक्षित दरें :–

क्रम सं0	मद	वर्तमान दरें (रू0 में)	प्रस्तावित दरें (रू0 में)
1	विकास अनुज्ञा शुल्क		
	1.0 है0 तक	11500.00	12090.00
	1.0 से 2.5 है0 तक	23000.00	24180.00
	2.5 से 5.0 है0 तक	34500.00	36270.00
	5.0 है0 से अधिक तथा प्रत्येक अतिरिक्त 5.0 है0 अथवा उसके अंश पर	14250.00	14980.00
2	भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क (दरें प्रति वर्गमी0)		

प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

	व्यवसायिक / शापिंग काम्प्लेक्स / शापिंग मॉल / सिनेमा / मल्टीप्लेक्स, मिश्रित, कार्यालय उपयोग	35.00	36.50
	ग्रुप हाऊसिंग	17.50	18.00
	भूखण्डीय आवासीय एवं अन्य उपयोग	6.00	6.50
3	निरीक्षण शुल्क (दरें प्रति वर्गमी0)		
	भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु	23.00	24.00
	विकास अनुज्ञा हेतु	11.50	12.00
4	अम्बार शुल्क (दरें प्रति वर्गमी0)	46.00	48.00

शासनादेश सं0 3/2021/558/आठ–3– 21–211विविध/13टीसी दिनांक 09 फरवरी, 2021 में निर्धारित विकास शुल्क की पुनरीक्षित दरें :–

क्रम सं0	मद	वर्तमान दरें (रू0 में)	प्रस्तावित दरें (रू0 में)
1	विकास शुल्क (दरें प्रति वर्गमी0)	950.00	995.00

कृ0 उपरोक्तानुसार समस्त शुल्कों में वृद्धि किये जाने एवं बोर्ड के अनुमोदन के दिनांक से स्वीकृत होने वाले मानचित्रों पर उपरोक्तानुसार शुल्क लागू किए जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

72/05	प्राधिकरण विकास क्षेत्र में शमन शुल्क की दरों में वृद्धि पर विचार विषयक।	प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में शमन मानचित्र स्वीकृति के समय शमन शुल्क आरोपित किये जाते है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित जनरल इन्डेक्स के आधार पर शुल्कों में वृद्धि किये जाने का प्राविधान शासनादेश सं0 4824/8–3–09–09विविध/09 दिनांक 14 जनवरी, 2010 में उल्लिखित है। वर्ष 2022–23 में पूरे वर्ष का इन्डेक्स 331 था जो वर्ष वर्ष 2023–24 में बढकर 348 हो गया। इस प्रकार वर्ष 2022–23 के सापेक्ष वर्ष 2023–24 तक इन्डेक्स में 5.14 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। वर्णित शासनादेश मे दिये प्राविधान निर्धारित शमन शुल्क पुनरीक्षित किये जाने है। जिसके अनुसार वर्तमान में लिए जा रहे शुल्कों में इन्डेक्स को दृष्टिगत रखते हुए निम्न तालिका के अनुसार वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है :–	प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

शमन शुल्क की अनुसूची (नियम संख्या–4)

शासनादेश सं0 4824/8–3– 09–09विविध/09 दिनांक 14 जनवरी, 2010(संलग्नक–1) में निर्धारित शमन शुल्क की कॉस्ट इण्डैक्स–2022(संलग्नक–2) पर आधारित पुनरीक्षित दरें :–

क्र0 सं0	निर्माण की प्रकृति	विभिन्न भू–उपयोगों हेतु शमन शुल्क की दरें।				
		आवासीय	व्यवसायिक	कार्यालय	औद्योगिक	सुविधाएं/ अन्य
		3	4	5	6	7
1	2					
1.	अनुमन्य भू–आच्छादन एवं तल क्षेत्र अनुपात के अन्तर्गत बिना अनुमति निर्माण करने पर	1.1 100 वर्ग मी0 तक के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रू0 23.50 प्रति वर्गमी0	आवासीय का दो गुना	आवासीय का 1.50 गुना	आवासीय का 0.40 गुना	आवासीय का 0.50 गुना
		1.2 101–300 वर्ग मी0 तक के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रू0 35.50 प्रति वर्गमी0	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
		1.3 301–500 वर्ग मी0 तक के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रू0 47.00 प्रति वर्गमी0	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
		1.4 501–2000 वर्ग मी0 तक के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रू0 58.50 प्रति वर्गमी0	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
		1.5 2000 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

Scanned with OKEN Scanner

		हेतु रू0 58.50 प्रति वर्गमी0				
		1.6 अनुमन्य इकाइयों सं अतिरिक्त शमनीय इकाइयों पर रू0 1,17,750.00 प्रति इकाई	—	—	—	—
2	अनुमन्य भू–आच्छादन के अन्तर्गत अतिरिक्त तल क्षेत्र (एफ0ए0आर0) पर	भूखण्डीय विकास एवं ग्रुप हाउसिंग–दोनो प्रकृति के निर्माण में रू0 470 प्रति वर्ग मी0 तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत के अतिरिक्त	रू0 945 प्रति वर्ग मी0 तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत के अतिरिक्त	रू0 709.50 प्रति वर्ग मी0 तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित भूमि मूल्य का 70 प्रतिशत के अतिरिक्त	रू0 354.50 प्रति वर्ग मी0 तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित भूमि मूल्य का 40 प्रतिशत के अतिरिक्त	रू0 354.50 प्रति वर्ग मी0 तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत के अतिरिक्त
3	कमरे की आन्तरिक ऊँचाई न्यूनतम निर्धारित ऊँचाई से कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 236.50 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 470 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 354.50 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 118.00 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 177.00 प्रति वर्ग मी0
4	कमरे की चौडाई न्यूनतम निर्धारित चौडाई से कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 118.00 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 236.50	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 177 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 47.00 वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 59.00 वर्ग मी0

Scanned with OKEN Scanner

			प्रति वर्ग मी0			
5	कमरे का क्षेत्रफल विहित क्षेत्रफल से कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 118.00 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 236.50 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 177 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 47.00 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 59.00 प्रति वर्ग मी0
6	कमरे में प्रकाश तथा संवातन की व्यवस्था विहित क्षेत्रफल से कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 118.00 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 236.50 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 177 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 47.00 प्रति वर्ग मी0	कमरे के क्षेत्रफल पर रू0 59.00 प्रति वर्ग मी0
7	कम्पाउन्ड वाल की ऊँचाई निर्धारित ऊँचाई से अधिक होने पर	कम्पाउन्ड वाल की लम्बाई पर रू0 118.00 प्रति वर्ग मी0 परन्तु न्यूनतम 11,820.00/–	कम्पाउन्ड वाल की लम्बाई पर रू0 236.50 प्रति वर्ग मी0 परन्तु न्यूनतम 23,640.00/–	कम्पाउन्ड वाल की लम्बाई पर रू0 177 प्रति वर्ग मी0 परन्तु न्यूनतम 17,730.00/–	कम्पाउन्ड वाल की लम्बाई पर रू0 47.00 प्रति वर्ग मी0 परन्तु न्यूनतम 2,365.00/–	कम्पाउन्ड वाल की लम्बाई पर रू0 59.00 प्रति वर्ग मी0 परन्तु न्यूनतम 5,914.00/–

टिप्पणी :–

1– उक्त प्रकृति के निर्माणों के अतिरिक्त अन्य अवैध निर्माण जो उपविधि अथवा निर्देशों के विपरीत हो अथवा जिसकी स्वीकृति न दी गई हो (यथा–पोर्च, बालकनी, छज्जे आदि) परन्तु शमनीय हो, पर रू0 473/– प्रति वर्ग मी0 की दर से शमन शुल्क लिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

		• . 4— भूखण्डीय विकास में तलों की संख्या परिवर्तित किये बिना भवन की ऊँचाई अनुमन्य ऊँचाई से 10 प्रतिशत तक अधिक होने की दशा में 5914/— प्रति मीटर ऊँचाई की दर से शमन शुल्क देय होगा। • अतः कृपया उपरोक्त तालिका के अनुसार शमन शुल्कों में भूमि दर के अतिरिक्त लिये जाने वाले समस्त शुल्कों में वृद्धि किये जाने का एवं उपरोक्त दरों को बोर्ड के अनुमोदन की दिनांक से स्वीकृत होने वाले मानचित्र पर लागू करने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
72/06	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में निर्मित दुकानों एवं रिक्त भूखण्डों की संशोधित दरें स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 37वी बोर्ड बैठक के एजेण्डा आईटम सं0 37/04(संलग्नक–1) के अनुसार वर्तमान सर्किल रेट पर भूखण्डों का आवंटन किये जाने हेतु मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। आवास अनुभाग–1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 4049/9–आ–1–99/16समिति/1998 दिनांक 20 नवम्बर, 1999 के माध्यम से निर्गत आदर्श कॉस्टिंग गाइडलाईन्स (संलग्नक–2) में उल्लेख है कि "पूर्णतया विकसित अथवा नगर निगम को हस्तांतरित योजनाओं में भूमि की की दर सर्किल रेट के बराबर रखी जाये।" जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा दिनांक 10.09.2022 में सर्किल दरें पुनरीक्षित करने पर प्राधिकरण की 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.10.2022 में न्यूनतम आरक्षित मूल्य पुनरीक्षित किये गये थे। जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा दिनांक 12.12.2023 को सर्किल रेट पुनरीक्षित किये गये है जिसके कारण ट्रांसपोर्ट नगर योजना की दरें पुनरीक्षित की जा रही है सिमें निम्न बिन्दुओं/मानकों का संज्ञान लिया गया है :– 1. जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा दिनांक 12.12.2023(संलग्नक–3) से प्रमावी सर्किल रेट 6.00 मीटर चौडी सडक तक रू0 23,000/– प्रति वर्ग मीटर तथा 06 मीटर से 15 मीटर चौडी सडक पर रू0 24,000/– प्रति वर्ग मीटर एवं 15 मीटर से अधिक चौडी सडक पर रू0 25,000/– प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क निर्धारित किये गये है।	प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

2. विगत एक वर्ष में भूखण्डों की जो नीलामी हुई है उसमें प्राप्त औसतन दरें रू 24,200 से रू 26,800 तक प्राप्त हुई है, जिसको मार्किट/बाजार दर के आकलन हेतु ध्यान में रखते हुए दरें पुनरीक्षित की जा सकती है।

मा0 बोर्ड द्वारा विभिन्न बैठकों में प्रदान किये अनुमोदन एवं शासनादेश में दी गई व्यवस्था के क्रम में ट्रांसपोर्ट नगर योजना में वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम आरक्षित मूल्य का पुनः निर्धारण विचारोपरान्त निम्नवत् तालिका के अनुसार प्रस्तावित किया गया है :-

ट्रांसपोर्ट नगर योजना अन्तर्गत भूखण्ड़ हेतु

तालिका- 1

क्रम सं0	सड़क की चौड़ाई जिम पर भूखण्ड स्थित है।	वर्तमान में न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू0 प्रति वर्ग मी0)	नया सर्किल रेट-2022 (रू0 प्रति वर्ग मी0)	नवीन न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू0 प्रति वर्ग मी0)
1	2	3	4	5
1	6.00 मीटर तक	23,500/-	23,000/-	24,500/-
2	6.00 मीटर से 15.00 मीटर तक	24,000/-	24,000/-	25,000/-
3	15.00 मीटर से अधिक	24,500/-	25,000/-	25,500/-

आदर्श कॉस्टिंग गाइडलाईन्स में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्मित दुकानों की कॉस्टिंग निम्नवत पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित है (संलग्नक-4) :-

ट्रांसपोर्ट नगर योजना अन्तर्गत निर्मित दुकानों हेतु

तालिका- 2

क्रम सं0	क्षेत्रफल	पुराना मूल्यांकन विक्रय मूल्य	नये सर्किल दर पर भुगतान
1	2	3	4
1	50.72 वर्ग मीटर	21,25,000/-	22,86,800/-
2	45.70 वर्ग मीटर	19,15,000/-	20,60,400/-

अतः कृपया ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित रिक्त भूखण्डों के उपरोक्त तालिका-1 में कॉलम-05 के अनुसार व निर्मित दुकानों हेतु तालिका-2 के कॉलम-04 के अनुसार न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारण का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with OKEN Scanner

72/07	प्रदेश के राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।	कृपया वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–9/2016/वे0आ0–2–201/दस–2016–8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0 दिनांक 24 फरवरी, 2016(संलग्नक–1) में व्यवस्था दी गयी है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक विभिन्न विभागों के अन्तर्गत "विद्यमान स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों आदि में दैनिक वेतन, वर्कचार्ज एवं संविदा के आधार पर नियुक्त किये जा चुके ऐसे कार्मिक, जो वर्तमान में उसी स्वरूप में कार्यरत है तथा नियुक्ति के समय पद पर भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करते थे को विभाग और संस्था में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष एवं रिक्तियॉ न होने पर यथावश्यकता अधिसंख्यक पद सृजित कराते हुए उनके सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से नियमित किये जाने" का प्राविधान किया गया है। शासनादेश संख्या–1509/9–आ–6–03/107ई/02 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8, दिनांक 18 जून, 2003(संलग्नक–2) के माध्यम से सहारनपुर विकास प्राधिकरण में लिपिक के 04 पद स्वीकृत किये गये है जिसके सापेक्ष वर्तमान में 03 लिपिक कार्यरत है तथा 01 पद रिक्त चल रहा है (संलग्नक–3)। श्री ऋषि कुमार बत्रा दिनांक 05.03.2001 से वर्तमान तक संविदा कर्मी लिपिक के रूप में कार्यरत है(संलग्नक–4)। श्री बत्रा की शैक्षित योग्यता स्नातक (बी0कॉम0) है जो कि लिपिक की न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक है(संलग्नक–5)। इस प्रकार श्री बत्रा शासनादेश में निर्धारित अर्हता पूर्ण करते है। अतः उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार श्री ऋषि कुमार बत्रा को प्राधिकरण में रिक्त चल रहे लिपिक के पद पर विनियमित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव मा0 बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।
72/08	रोड नेटवर्क प्लान बनाए जाने के संबंध में।	सड़कों के बेहतर नेटवर्क से शहर का समग्र विस्तार हो सकता है और नए शहरी केन्द्रों का विकास सम्भव हो सकता है जो आर्थिक गतिविधि के केंद्र बन सकते है। इस कारण प्राधिकरण विकास क्षेत्र में सड़क का विस्तृत नेटवर्क प्लान होना आवश्यक है। रोड नेटवर्क प्लान जोनल प्लान का भाग है। महायोजना–2031 में रोड़ नेटवर्क प्रस्तावित किया गया है किंतु महायोजना के स्केल के कारण उसकी अपनी सीमाएं है। उक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण के विकास क्षेत्र अंतर्गत अविकसित क्षेत्र जहां पर महायोजना–2031 में भू–उपयोग निर्दिष्ट किया गया है वहॉ नेटवर्क प्लान बनाया जाना औचित्यपूर्ण है जिससे कि विकास मात्र मुख्य मार्गो पर न होकर आंतरिक मार्गो पर व क्षेत्रों में भी हो जिससे कि इन नए क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सके तथा भविष्य में आर्थिक गतिविधियों के कारण बढते यातायात को नियंत्रित किया जा सके।	प्रस्ताव पर विस्तृत विचारा विमर्श किया गया। सहयुक्त नियोजक द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि रोड नेटवर्क प्लान को 500 हैक्टे0 तक सीमित न करते हुए एक नियोजन खण्ड

Scanned with OKEN Scanner

72/10	सहारनपुर विकास प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2022–23 की बैंलेन्स शीट के अनुमोदन के संबंध में।	सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 की बैंलेंस शीट प्राधिकरण के अधिकृत सी0ए0 द्वारा तैयार की गयी है जिसे मा0 बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा0 बोर्ड के अपेक्षानुसार बैठक में उपस्थित प्राधिकर वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि – 1– वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल प्राप्ति रू0 27.36 करोड़ हुई है, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल प्राप्ति रू0 32.98 करोड़ हुई है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021–22 की तुलना में 20.54 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 31.12.2023 तक) में कुल रू0 2698.42 लाख की प्राप्ति हुई है। 2– वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल व्यय रू0 8.42 करोड़ हुआ है, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल प्राप्ति रू0 15.10 करोड़ हुआ है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021–22 की तुलना में 79.33 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24(दिनांक 31.12.2023 तक) में कुल रू0 1769.67 लाख का व्यय हुआ है। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किये गये तथ्यों के आलोक में प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।
72/11	वित्तीय वर्ष 2023–24 के वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमान की स्वीकृति के संबंध में।	कृपया सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु स्वीकृत बजट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनांक 30.12.23 तक के वास्तविक आय–व्यय के क्रम में पुनरीक्षित आय–व्ययक आंकडें तैयार किये गये है तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमान तैयार किये गये है। मा0 बोर्ड के समक्ष आंकडे इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया यथोचित विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रस्तावित बजट की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

72/12	अनाधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण के संबंध में।	कृपया शासनादेश सं0 5097/9-आ-3-2001 दिनांक 26 मई, 2001(संलग्नक-1) द्वारा अनाधिकृत कालोनियों के विनियमितिकरण संबंधी गाईडलाईन तैयार की गयी थी जिनमें समय-समय पर विभिन्न शासनादेश सं0 5538/9-आ-3-2003 दिनांक 02 दिसम्बर, 2003(संलग्नक-2) व शासनादेश सं0 3805/8-3-2008-194काम्प/2001 दिनांक 05 अगस्त, 2008 (संलग्नक-3) के माध्यम से संशोधित किया गया है। नवीनतम शासनादेश द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2008 को नियमितिकरण हेतु कट-ऑफ-डेट नियत की गयी है। प्राधिकरण द्वारा तत्समय निर्मित हो चुकी अनाधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण कर उनकी सूची स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी (संलग्नक-4)। प्रकाशित सूची में उल्लिखित कतिपय अनाधिकृत कालोनियों को विभिन्न बोर्ड बैठकों में नियमित किया जा चुका है किन्तु शेष कालोनियों के संबंध में नियमितिकरण की कार्यवाही लंबित रही। शासनादेश दिनांक 05 अगस्त, 2008 में दी गयी व्यवस्थानुसार चिन्हित अनाधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण ई-निविदा के माध्यम से चयनित सर्वे एजेन्सी के माध्यम से कराया गया। सर्वे शीट का परीक्षण प्राधिकरण स्तर पर अभियन्त्रण खण्ड द्वारा किया गया। सर्वे के आधार पर आच्छादित भूमि के संबंध में नगर निगम एवं तहसील से अनापत्ति प्राप्त की गई। अभियन्त्रण खण्ड द्वारा मौके पर सर्वे का सत्यापन किया गया तथा कालोनी में उपलब्ध विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का सत्यापन कर अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी। अभियन्त्रण खण्ड की आख्या एवं स्थलीय सत्यापन उपरान्त यथास्थल सर्वे शीट में संशोधन कर लेआउट प्लान तैयार किया गया। तैयार लेआउट प्लान पर शासनादेश दिनांक 05 अगस्त, 2008 के अनुसार गठित उपसमिति द्वारा बैठक कर विचार-विमर्श करते हुए अपनी संस्तुति/आख्या प्रस्तुत की गयी जो संलग्न है। अतः उपसमिति की आख्या के अनुसार निम्नानुसार 05 अनाधिकृत कालोनियों को विनियमित कर लेआउट प्लान के अनुमोदन का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। 1- आदर्श कालोनी (भाग) व बसन्त विहार(भाग)- (जोन-11) (संलग्नक-5) 2- आदर्श विहार - (जोन-11) (संलग्नक-6) 3- सियाराम कालोनी - (जोन-11) (संलग्नक-7) 4- लक्ष्मणसिंह कालोनी - (जोन-11) (संलग्नक-8) 5- सूर्य नगर - (जोन-11) (संलग्नक-9)	प्रस्ताव मा0 बोर्ड ... विचारोपरान्त ... किया गया।
अनुपूरक एजेण्डा 72/01	अमृत योजना के अन्तर्गत विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजना-2031	प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.09.2023 के एजेण्डा मद संख्या 71/04 द्वारा विकास क्षेत्र की महायोजना-2031 में अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसके क्रम में विकास क्षेत्र महायोजना प्रतिवेदन तथा महायोजना मानचित्र-2031 तैयार करते हुए उत्तर प्रदेश शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था जिसका परीक्षण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय द्वारा करते हुए पत्रांक 129/स.नि.(के)/अमृत महा. परीक्षण सहारनपुर/2023-24 दिनांक 15.01.2024 के माध्यम से	प्रस्ताव मा0 विचारोपरान्त किया गया।

	के मानचित्र के संबंध में।	महायोजना–2031 को संशोधनोपरान्त आख्या सहित शासन को संदर्भित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 186/आठ–3–2024 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 दिनांक 23.01.24(संलग्नक–1) के माध्यम से महायोजना–2031 में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक कार्यालय के पत्र में प्रस्तर–3 पर क्रम संख्या–3.3.1 से 3.3.3 तक निम्नानुसार अंकित महायोजना भू–उपयोग मानचित्र से संबंधित त्रुटियों पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है :– "3.3 भू–उपयोग मानचित्र में त्रुटियां 3.3.1 चकहरेटी राजस्व ग्राम के पूर्व दिशा में प्रस्तावित औद्योगिक भू–उपयोग के आकार में प्रारूप महायोजना एवं प्रभावी महायोजना में दर्शाये गये आकार से परिवर्तन पाया गया। इस सम्बन्ध में सुनवाई समिति की संस्तुति/प्राधिकरण बोर्ड का निर्णय नहीं पाया गया। 3.3.2 कुम्हारहेडा राजस्व ग्राम के पूर्व दिशा में देहरादून मार्ग पर प्रस्तावित "सामुदायिक सुविधाओं" भू–उपयोग के आकार में परिवर्तन पाया गया। इस सम्बन्ध में सुनवाई समिति की संस्तुति/प्राधिकरण बोर्ड का निर्णय नहीं पाया गया। 3.3.3 'दराअलीस्वाद' राजस्व ग्राम के पास प्रस्तावित 'पार्क प्लेग्राउण्ड एवं ओपन स्थल' भू–उपयोग के आकार में परिवर्तन पाया गया। इस सम्बन्ध में सुनवाई समिति की संस्तुति/प्राधिकरण बोर्ड का निर्णय नहीं पाया गया।" नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा उल्लिखित उक्त त्रुटियों के अनुसार पूर्व प्रेषित महायोजना–2031 मानचित्र में पायी गयी ड्राफ्टिंग–त्रुटियों को ठीक कर प्रभावी महायोजना–2021 के अनुसार यथावत रखा जाना प्रस्तावित है तथा तदानुसार महयोजना–2031 में संशोधनोपरान्त शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(गजेन्द्र कुमार) सचिव सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	(आशीष कुमार) उपाध्यक्ष सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	H.B. YASHOD (हृषिकेश भास्कर यशोद) आयुक्त/अध्यक्ष सहारनपुर मण्डल/विकास प्राधिकरण सहारनपुर।

Scanned with OKEN Scanner